1.

कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सिमडेगा।

"अति अल्पकालीन निविदा"

मनरेगा आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची के पत्रांक (N)480 (अनु0) रांची दिनांक 28.02.2018 के आलोक में सिमडेगा जिला के सभी प्रखण्डों में मनरेगा अन्तर्गत बिरसा मुण्डा बागवानी योजना के क्रियान्वयन में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न सामग्री के क्रय हेतु निम्न प्रकार अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है :–

क्र0	सामग्री का नाम
1	केंचुआ खाद, नीम/करंज खल्ली, Bone Meal/SSP, Dolomite or any other Suitable Fertilizer, Trichoderm sp
2	फफुन्दनाशक,(Mancozeb+Carbendazim, Copper Oxycholride or any Suitable Fungicide)
3	कीटनाशक दवा (Quinalphose/Chlorophyriphos or any other suitable insecticide)
4	दीमकनाशक दवा (Pyrethrum or equivalent)
5	रसायनिक खाद (NPK यूरिया, डी0ए0पी0, पोटास)

1. इच्छुक पंजीकृत निविदादाता/आपूर्तिकर्ता द्वारा शीलबन्द लिफाफे में दिनांक 29.06.2018 के 3.00 बजे अपराह्न तक निविदा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सिमडेगा कार्यालय में जमा कर सकते हैं। प्राप्त निविदा दिनांक 29.06.2018 को 3.30 बजे अपराह्न में क्रय समिति के समक्ष निविदादाता या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के उपस्थिति में खोला जायेगा।
2. निविदा के साथ 2000/–रूपये का बैंक ड्राफ्ट उप विकास आयुक्त–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक, सिमडेगा के पदनाम से संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. निविदादाता अपना नाम, पिता/पति का नाम, वर्तमान पता, स्थायी पता, व्यवसाय, पूर्व कार्यानुभव, शैक्षणिक योग्यता, मोबाईल नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख अपने आवेदन पत्र में करेंगे।
4. निविदादाता को अद्यतन आयकर रिटर्न/वाणिज्यकर सफाया प्रमाण पत्र निविदा के साथ समर्पित करना अनिवार्य होगा।
5. निविदादाता को तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड अलग–अलग लिफाफा में समर्पित करना होगा।
6. सिमडेगा जिले के पंजीकृत ग्राम संगठन/कृषक उत्पादक समूह/कृषक कॉपरेटिव/ स्थानीय आपूर्तिकर्ता को प्राथमिकता दी जाएगी।
7. सामग्री की आपूर्त्ति योजना स्थल पर करना होगा जिसमें सभी प्रकार के कर एवं परिवहन शुल्क आदि की राशि सम्मिलित होगी।

Scanned by CamScanner

8. आपूर्ति आदेश निर्गत होने के 5 दिनों के अन्दर कार्य स्थल पर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।

9. आपूर्तिकर्ता को इस आशय का शपथ–पत्र समर्पित करना होगा कि :–

   1. सामग्री की आपूर्ति योजना स्थल पर मेरे द्वारा की जाएगी। आपूर्ति की जानेवाली सामग्री नकली/एक्सपायरी तथा किसी प्रकार की गुणवता को लेकर अनियमितता पाये जाने पर कानूनी कार्रवाई के हकदार होंगे।
   2. निविदा के माध्यम से स्वीकृत दर पर ही आपूर्ति की गयी सामग्री का अभिश्रव कार्यकारी एजेन्सी को दिया जाएगा, उससे अधिक राशि का अभिश्रव समर्पित किये जाने पर कार्रवाई के हकदार होंगे।
   3. निविदादाता को किसी सरकारी विभाग या प्रतिष्ठान द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं होने एवं किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा किसी आपराधिक मामले में दोषी करार नहीं दिया गया है ऐसा पाये जाने पर कानूनी कार्रवाई के हकदार होंगे।

10. निविदा के शर्त्तों में परिवर्त्तन एवं उसे बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।

ह0/–

उप विकास आयुक्त
–सह–
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सिमडेगा।

ज्ञापांक 975(ii)/जि0ग्रा0, दिनांक 19/6/18/

प्रतिलिपिः– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, सिमडेगा को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त अति अल्पकालीन निविदा से संबंधित सूचना को सिमडेगा जिले के वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपिः– उपायुक्त, सिमडेगा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

उप विकास आयुक्त
–सह–
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सिमडेगा।

Scanned by CamScanner